THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Purchase and sale of intoxicating liquors is a State subject as listed in the Seventh Schedule of the Constitution of India. No permission is re-qu red to be issued to State Governments under the provis ons of the Industries (Development & Regulation) Act 1951 for issue of liquor trading licences.

उद्योग के क्षेत्र में विदेशी सहयोग में कमी

2984. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या उद्योग मंत्री 16 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 111 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जून, 1990 तक किए गए विदेशी समझौतों की संख्या कितनी है और जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समझौता हुआ है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन समझौतों के अंतर्गत कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ख) 1.1.90 से 30.6.90 की अवधि के दौरान 359 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। इनमें 7504.47 लाख रू0 की राशि की विदेशी इक्विटी भागीदारी 115 अनुमोदन शामिल है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों के उद्योगवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

विवरण

1-1-90 से 30-6-90 की अवधि के दौरान किये गये विदेशी सहयोग अनुदानों का उद्योगवार ब्यौरा

क्र.स.	उद्योग का नाम	1990 (जून तक) अनुमोदनों की संख्या
1.	धातुकर्मी उद्योग	19
2.	ईंधन	2
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयंत्र	6
4.	बिजली के उपकरण	39
5.	दूर संचार	24
6.	परिवहन	12
7.	औद्योगिक मशीनरी	34
8.	मशीनी औजार	15
9.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरी उद्योग	48
10.	वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उपकरण	4
11.	चिकित्सा और शल्य उपकरण	2

12.	औद्योगिक उपकरण	30
13.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	38
14.	औषध और भेषज	2
15.	वस्त्र (रंगे, छपे अथवा किसी अन्य रूप से तैयार किये गये कपड़े शामिल हैं)	5
16.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुग्दी	3
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	9
18.	साबुन, कास्मेक्टिस और प्रसाधन का सामान	2
10.	रबड़ का सामान	6
20.	चमड़ा और चमड़े का सामान और पिकर्स	7
21.	कांच	2
22.	सिरामिक्स	5
23.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	1
24.	परामर्शदायी	3
25.	विविध उद्योग	41
	योग :	359

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प तथा एल० पी० जी० की एजेंसियां दिए जाने के लिए दिशा-निर्देश

2985. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लोगों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पैट्रोल पम्प तथा एल.पी.जी. गैस की एजेंसियां दिये जाने के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं ; और

(ख) इस समय उक्त वर्गों के लोगों के लिए इस प्रकार की एजेंसियों के आवंटन हेतु कितने मामले केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस०गुरूपदस्वामी) : (क) पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप/एल.पी.जी. के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25% के आरक्षण का प्रावधान है । इसमें चार पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां अनुसूचित जन जाति के लिए अरूणाचल प्रदेश में 70% का, मेघालय और नागालैण्ड में 80% का और मिजोरम में 90% का का आरक्षण है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण $7\frac{1}{2}$ है ।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या
अनुसचित जाति/जन जाति	176	124
शारीरिक रूप से विकलांग	41	46